संख्या-823/52-3-2024-52-3099/109/2023

प्रेषक,

हरि बख्श सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1208/अ०स०क०नि०-1638/दशमो०छात्र०शु०प्र०/2024-25 दिनांक 21.06.2024 एवं पत्र संख्या-1407/अ०स०क०नि०-1638/दशमो०छात्र०शु०प्र०/2024 दिनांक 28.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि नोडल समाज कल्याण विभाग की भांति वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित वियालयों/मदरसों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग छात्रों के लिए नोडल समाज कल्याण विभाग की भांति निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	समयावधि कक्षा **11-12** एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु **(2023-24)**
1	<u>शिक्षण संस्थान (**HoI/INO**) द्वारा मास्टर डाटा बेस तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाआ बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। (नवीन संस्थायें)। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग ऐजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम एवं आदि सूचनाओं को अंकित/अपतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 जुलाई 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक
2	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का</u>	12 जुलाई 2024 से 10

Scanned with OKEN Scanner

	सत्यापन प्रदेश के अन्दर संबंधित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	दिसम्बर, 2024 तक
3	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिक्षण संस्थान पाठ्य एवं सीटों का सत्यापन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं स्वीकृत सीटों की संख्या आदि को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	12 जुलाई 2024 से 10 दिसम्बर, 2024 तक
4	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एन०एस०पी० पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एन०एस०पी० (N.S.P.) पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	13 जुलाई 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक
5	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयो से सभी शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	15 जुलाई, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया	
6	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन	01 जुलाई 2024 से 20 दिसम्बर, 2024 तक
7	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	12 जुलाई 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक
8	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना।	13 जुलाई 2024 से 05 जनवरी, 2025 तक
9	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का अवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 जुलाई 2024 से 16 जनवरी, 2025 तक
10	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वाराछात्रों के डाटापर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी (DNO) के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	03 दिसम्बर, 2024 से 05 मार्च, 2025 तक
11	पी०एफ०एम० पर छात्रों का वैलिडेशन	26 नवम्बर 2024 से 24 फरवरी, 2025 तक

Scanned with OKEN Scanner

	प्रथम चरण	
12	<u>छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन</u> <u>छात्र/छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना</u>	12 जुलाई 2024 से 16 नवम्बर, 2024 तक
13	<u>छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</u> छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सब्मिशन किया जाना।	18 नवम्बर 2024 तक
14	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	20 नवम्बर 2024 तक
15	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 नवम्बर 2024 तक
16	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना। जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलियटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	26 नवम्बर 2024 से 09 दिसम्बर, 2024 तक
17	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना।	25 नवम्बर, 2024 तक
18	<u>एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोंपरान्त प्राप्त डाटा को एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर, 2024 से 02 दिसम्बर, 2024 तक
19	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक किया जाना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय लिया जाना तथा DNO द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से डाटा लॉक किया जाना।	03 दिसम्बर, 2024 से 16 दिसम्बर, 2024 तक
20	<u>मांग सृजन</u> DNO द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मांग सृजित करना।	19 दिसम्बर, 2024 तक
21	<u>धनराशि का अन्तरण</u> DNO द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 दिसम्बर, 2024 तक
	द्वितीय चरण	

Scanned with OKEN Scanner

22	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सबमिशन किया जाना।	17 नवम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक
23	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सबमिशन किया जाना।	05 जनवरी, 2025 तक
24	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	07 जनवरी, 2025 तक
25	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना. अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 जनवरी, 2025 तक
26	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेन्सी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना।</u> जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	17 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक
27	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना</u>	10 फरवरी 2025 तक
28	<u>एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	17 जनवरी, 2025 से 23 जनवरी, 2025 तक
29	<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन का छात्रों के स्तर से सही करना।</u> छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 जनवरी, 2025 से 05 फरवरी, 2025 तक
30	<u>छात्रों द्वारा सही आवदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना।</u> शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना. अपात्र छात्रों का आवदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 फरवरी 2025 तक
31	<u>एन०आई०सी० द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u> छात्र द्वारासही किये गये संदेहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई मे विभिन्न बिन्दुओं पर पुन. परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	11 फरवरी, 2025 से 18 फरवरी, 2025 तक

Scanned with OKEN Scanner

	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक किया जाना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय लिया जाना तथा DNO द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से डाटा लॉक किया जाना।	05 मार्च, 2025 तक।
33	मांग सृजन DNO द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	10 मार्च 2025 तक
34	धनराशि का अन्तरण DNO द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खाते मे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20 मार्च 2025 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवही की जायेगी:-

(1) उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्त्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

(2) नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet declared आप्शन चुनते हुए आवेदन अग्रसारित किया जायेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा। संस्था द्वारा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा।

(4) संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों का जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

(5) विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग ऐजेन्सी द्वारा परीक्षण परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माडयूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे की छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाईव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके। छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजिलॉकर से इन्टीग्रेट कराया गया है। समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में घोषित परीक्षाफल को प्रतिवर्ष डिजिलॉकर पर भी अपलोड करेंगे।

(6) प्रथमचरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

(7) ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो कि भी त्रुटि के कारण (प्राप्तांक, पूर्णांक या अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण) से शिक्षण संस्थान स्तर पर लम्बित हैं, उन्हें छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्थान से रीसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Hari Bux Singh
Date: 10-07-2024 17:27:39

(हरि बक्श सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/नियोजन/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।

2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

3- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।

6- समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।

7- रजिस्ट्रार, उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

8- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।

9- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner